अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

	फर्द अहकाम अपील इंतकाल सं0 16 / 2011 बादू देवी बनाम गोपाल वगैरा	
7--4--11	अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया जावे। अपीलाधीन आदेश से संबंधित रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया जावे। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। अपीलार्थिया के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि अपीलार्थिया के पिता कालूराम की मृत्यू के बाद गलत वारिसनामा बनवा कर विवादग्रस्त रकबा अपने नाम करवा लिया । अपीलार्थिया के भाई की मृत्यू हो चुकी है तथा रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 5 के नाम विरासतन भूमि आ चुकी है। रेस्पोडेन्ट विवादित कृषि भूमि को रहन बैय करने की फिराक में हैं। यदि रेस्पोडेन्टस विवादग्रस्त रकबा को खुर्द बुर्द करने में कामयाब हो गये तो अपील का मकसद समाप्त हो जायेगा और नापूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अपीलार्थी के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया । अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है तथा प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपीलार्थी के अधिवक्त के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथमदृष्टया मामला अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि के रेकार्ड की वर्तमान स्थिति दिनांक 25-4-11 तक यथावत रखने हेतु रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 7 को पाबन्द किया जाता है। पत्रावली दिनांक 25-4-11 को पेश हो।	427-28 8/4/1

Scanned by CamScanner

कार्यालय टिप्पणी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

20.11.14 अपीलांट के Adv. उपस्थित। अपीलांट के Adv. ने पूर्व आदेश की पालना नहीं की। पूर्व आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 12.12.14 को पेश हो।

12.12.14 पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश प्रभाव पर~~ अ-ग्र कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभावक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 20.01.15 को पेश हो।

20.01.15 पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश प्रभाव पर~~ पं.स. चुनाव कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभावक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 27.02.15 को पेश हो।

27/2/15 पीठासीन अधिकारी अवकाश प्रभाव पर दौरे पर है कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारान के अभिभावक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 17/4/15 को पेश हो।

17.04.15 अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलांट के अधिवक्ता ने पूर्व आदेश की पालना नहीं की। पूर्व आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 12.06.15 को पेश हो।

12.6.15 अपीलांट के Ad. उप०। अपीलांट के Ad. ने P.O. की रसीद रेस्पो० सं० 5 की तामील के संबंध में पेश नहीं की है तथा निवेदन किया है कि रेस्पो० सं० 5 का देहान्त हो चुका है जिसकी जानकारी प्राप्त कर आवेदन प्रस्तुत करना है। अत: एक अवसर दिया जावे। न्यायहित में अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। पत्रावली दि० 2-7-15 को पेश हो।

2-7-15 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट को एक-2 कर बार-2 आवाजें लगाई गई, लेकिन वकील अपीलांट हाजिर नहीं हुए। अत: वकील अपीलांट के हाजिर न होने के कारण अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

PTO

खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति के साथ मूल रेकार्ड संबंधित न्यायालय को वापिस भेजा जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner